कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास क्रमांक-टी 2, प्रथमतल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

फोनः- 0755-2660441 ईमेलः- dte.helpcenter@mp.gov.in

क्रमांक-शैक्ष./04/जी/2025/काउं/ 471 भोपाल, दिनांकः- 28/04/2025

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,
समस्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थायें,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शैक्षणिक सत्र **2025-26** हेतु तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की निरंतरता **(EOA)**, प्रवेश क्षमता, प्रवेश क्षमता में वृद्धि, नवीन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति,विश्वविद्यालय की संबद्धता, **AFRC** द्वारा शुल्क निर्धारण एवं काउंसलिंग हेतु संस्थाओं की सहमति इत्यादि की जानकारी पोर्टल पर अद्यतन करने विषयक।

.000.

शैक्षणिक सत्र **2025-26** के लिये संविधिक निकायों द्वारा तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की निरंतरता **(EOA)**, प्रवेश क्षमता इत्यादि के संबंध में निर्देष जारी किये है। प्रदेश स्थित समस्त तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के लिये काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने हेतु सहमति, **AICTE/COA/PCI** द्वारा जारी पाठ्यक्रमों की निरंतरता, **(EOA)**, शिक्षण शुल्क का निर्धारण एवं विश्वविद्यालय की संबद्धता इत्यादि की जानकारी अद्यतन करने के लिये काउसंलिंग पोर्टल, **(www.dte.mponline.gov.in)** दिनांक 28/04/2025 से दिनांक 30/05/2025 तक उपलब्ध है।

संस्थायें काउंसलिंग में शामिल होने हेतु अपनी सहमति आवश्यक प्रपत्र इत्यादि नियत समयावधि में ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

<u>आयुक्त द्वारा अनुमोदित</u>

Digitally signed by
Veerendra Kumar
Date: 27-04-2025

[प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार]
संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृष्ठ. क्रमांक-शैक्ष./04/जी/2025/ काउं/ 472 भोपाल, दिनांकः- 28/04/2025

प्रतिलिपिः-

1. निज सचिव, सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं रोजगार विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, आयुक्त तकनीकी शिक्षा, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपी ऑनलाईन लिमिटेड, डी.बी. मॉल, भोपाल की ओर अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

[प्रो . (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार]
संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

सूचना

प्रदेश स्थित शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/ विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र की तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली समस्त संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि संस्थायें काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने हेतु काउंसलिंग की वेवसाईट **dte.mponline.gov.in** पर दिनांक **28** अप्रैल **2025** से 30 मई **2025** तक सारणी क्रमांक**-1** अनुसार कार्यवाही संपादित करें।

सारणी क्रमांक - 1		
स. क्र.	**संस्था**	**कार्यवाही**
1.	सत्र **2024-25** में काउंसलिंग में भाग ले चुकी एक्टिव (Active) संस्थाओं के लिये।	आपकी संस्था के जी**2** जी लॉगिन पर ऑनलाईन सहमति पत्र के फार्मेट में चाही गई सभी प्रविष्ठियां सावधानी पूर्वक भरें और चाहें गये पत्रों की स्वच्छ प्रति अपलोड कर लॉक (Submit) करें।
2.	सत्र **2024-25** या इसके पूर्व के सत्रों में काउंसलिंग में शामिल नहीं होने वाली इनएक्टिव (Inactive) संस्थाओं के लिये।	ऐसी संस्थाओं को अपना जी2 जी लॉगिन एक्टिव (Active) करवाने के लिए वेवसाईट पर उपलब्ध क्विक लिंक्स में **Apply for G2G Login** लिंक पर जाकर चाही गई जानकारियां पूर्ण करनी होगीं एवं चाहें गये पत्रों की स्वच्छ प्रति अपलोड कर लॉक (Submit) करना होगा। काउंसलिंग कार्यालय के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरांत **स.क्र.** 1 **के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करना होगी**।
3.	सत्र **2025-26** के लिए प्रथम बार **AICTE/PCI/COA** से Letter of Approval प्राप्त करने वाली नई संस्थाओं / पाठ्यक्रम के लिये।	नई संस्थाओं के लिये जी**2** जी लॉगिन प्राप्त करने के लिये वेवसाईट पर उपलब्ध क्विक लिंक्स में **Apply for G2G Login** लिंक पर जाकर चाही गई जानकारियां पूर्ण करनी होगीं एवं चाहें गये पत्रों की स्वच्छ प्रति अपलोड कर लॉक **(Submit)** करना होगा। काउंसलिंग कार्यालय के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरांत **स.क्र.** 1 **के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करना होगी।**

संपादित की जाने वाली कार्यवाही	
स.क्र.	**अपलोड करने वाले दस्तावेज**
1	रूपये **500/-** के नॉन**-**ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न बंध पत्र**,** सत्र **2025-26** में काउंसलिंग में भाग लेने वाली एक्टिव (Active) संस्थाओं के लिये। **(**शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त / स्ववित्तीय संस्थाओं हेतु लागू नहीं**)**।
2	**AICTE/PCI/COA** द्वारा सत्र **2025-26** के लिये विद्यमान संस्थाओं हेतु जारी पाठ्यक्रमों की निरंतरता **(EOA)** प्रवेश क्षमता में वृद्धि**,** नवीन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति।
3	सत्र **2025-26** के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता अथवा सत्र **2024-25** की विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता के साथ**-**साथ वर्तमान सत्र की सम्बद्धता के लिये विश्वविद्यालय में जमा की गई फीस की रसीद।

4	सत्र **2025-26** के लिये **AFRC** का फीस निर्धारण संबंधी आदेश, अथवा सत्र **2024-25** की फीस निर्धारण संबंधी आदेश के साथ-साथ वर्तमान सत्र की फीस निर्धारण संबंधी **AFRC** में जमा की गई फीस की रसीद।
5	संस्थागत प्राथमिकता सीटों **(IPS Seats)** पर प्रवेश के लिये सहमति हेतु पाठ्यक्रम वार (बी.ई.-बी.टेक./बी.फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी/बी. आर्किटेक्चर /डिप्लोमा एवं डिप्लोमा आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम) शपथ पत्र रुपये **500/-** के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर देना होगा।
6	सत्र **2025-26** से संस्था/पाठ्यक्रम/ब्रांच बंद करने संबंधी जानकारी कार्यालय मे जमा करें।
7	संस्था में अध्यनरत विद्यार्थियों के मूल दस्तावेजों के संबंध में संलग्न प्रपत्र अनुसार वचन पत्र।
8	सी.एम. हेल्पलाईन में संस्था के विरुद्ध की गयी शिकायतों के निराकरण संबंधी वचन-पत्र।
9	नवीन संस्था की स्वीकृति की दशा में **AICTE/PCI/COA** द्वारा जारी स्वीकृति पत्र **(LOA)**, **AFRC** का फीस निर्धारण संबंधी आदेश, विश्वविद्यालय की सम्बद्धता संबंधी पत्र तथा तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत बंध पत्र (रुपये**500/-** के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर)।
10	प्राथमिकता सीटों **(IPS Seats)** के लिये निजी क्षेत्र की ऐसी संस्थायें जिन्हें, (बी.ई.-बी.टेक./बी.फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी/बी. आर्केटेक्चर/डिप्लोमा एवं डिप्लोमा आर्केटेक्चर इत्यादि पाठ्यक्रम) के लिये सत्र **2025-26** हेतु निरंतरता **(EOA)** या **(LOA)**, में अनुमति मिली है, और यदि वे संस्थागत प्राथमिकता सीटों **(IPS Seats)** पर प्रवेश की इच्छुक हैं तो उन्हें इन सीटों पर प्रवेश के लिये पाठ्यक्रम वार प्रोसेसिंग शुल्क (रुपये **20100/-**पोर्टल शुल्क रुपये **100/-** सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं **(Non-Refundable)** होगा। पोर्टल पर उक्त भुगतान की रसीद अपलोड करनी होगी।

नोटः- समस्त तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु **EOA/LOA** मॉड्युल में प्रविष्टियों का सत्यापन ऑनलाईन माध्यम से किया जावेगा। अतः संस्थाओं को परामर्श दिया जाता है कि **EOA/LOA** मॉड्युल में प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक करें। प्रविष्टियों के प्रमाण के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की स्पष्ट पठनीय प्रतियां अपलोड करें। अपूर्ण, अस्पष्ट व दस्तावेजों के अनुरूप प्रविष्टियां सत्यापन के समय न पाये जाने पर संस्था को काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये संस्था से केवल ऑनलाईन मॉड्युल के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही, ऑनलाईन माध्यम से ही की जायेगी।

''ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत नही करने के अभाव में संस्था/पाठ्यक्रम को काउंसलिंग में सम्मिलित करना संभव नहीं होगा।''

<u>*आयुक्त द्वाराअनुमोदित*</u>

Digitally signed by
Veerendra Kumar
Date: 27-04-2025
22:19:43

[प्रो . (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार]

संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश